uxj ifj"kn ?kqekjoha ftyk fcykliqj fgekpy izns'k ds ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 04@2009 ls 03@2012

Hkkx&,d

iSjk 1 ¼d½ izkjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद घुमारवीं, जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

uksV %& (नगर पंचायत घुमारवीं का दर्जा हिमाचल प्रदेष सरकार शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्याः यू0डी0ए(1)3/2007, दिनांक 25.11.2009 द्वारा नगर पंचायत घुमारवीं से नगर परिषद घुमारवीं कर दिया गया हैं)

orZeku vads{k.k dks nkSjku vkgj.k ,oa laforj.k vf/kdkjh dks in ij fuEu iz/kku o lfpo@dk;Zdkjh vf/kdkjh dk;Zjr jgs %&

iz/kku %&

Øe la[;k	iz/kku dk uke	rSukrh dh vof/k
1	श्रीमति रीता सहगल	01.04.2009 से 24.11.2009
2	श्री सतपाल	25.11.2009 से 26.01.2011
3	श्रीमति रीता सहगल	27.01.2011 से 31.03.2012

dk;Zdkjh vf/kdkjh %&

1	श्री षिव सिंह सेन	01.04.2009 से 24.11.2009
2	श्री अषोक कुमार	25.11.2009 से 14.06.2010
3	श्री संजय कुमार	15.06.2010 से 31.03.2012

¼[k½ uxj ifj"kn ?kekjoh] ftyk fcykliqj fgekpy izns'k ds y[kk vof/k 04@09 ls 03@2012 rd vads{k.k esa ikbZ xbZ vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkj fuEu izdkj ls gS %&

iSjk la[;k	vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkj	jkf'k ¼yk[kksa e½
पैरा 5(i)	सरकारी अनुदान की दिनांक 31.03.2012 को राषि व्यय हेतु शेष	167.08
पैरा 7	बारहवें वित्त आयोग के अधीन सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट प्रोजैक्ट के अर्न्तगत अनुदान की राषि का उपयोग न करने बारे।	0.90
पैरा 8(i)	गृहकर दुकानों के किराये की राषि दिनांक 31.03.2012 तक वसूली हेतु शेष	61.86
पैरा 9	स्थापना पर अनियमित व्यय करना	22.65
पैरा 9(i)	नगर परिषद के कर्मचारियों के पैन्षन व ग्रेच्यूटी निधि में राषि का कम अंषदान	0.10
पैरा 12, 13, 14	सीमेन्ट बैगों की कम वसूली बारे (3,500+14,400+5,400)	0.23
पैरा 16	सक्षम अधिकारी की संषोधित स्वीकृति के बिना राषि का अनियमित व्यय	0.88
पैरा 18	मोबाईल कम्यूनिकेषन टावर के वार्षिक रिनियूल फीस की वसूली न किया जाना	0.17

¼x½ xr vads{k.k izfrosnu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'अ'' पर दर्षाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्यवाही सुनिष्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx nks

2 orZeku vads{k.k %&

नगर परिषद घुमारवीं, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेष के लेखाओं अवधि 04/09 से 03/12 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री तारा चन्द महन्त, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) द्वारा दिनांक 09.04.2012 से 02.06.2012 तक के दौरान सम्पन्न किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 06/2009, 03/2011, 08/2011 व 03/2010, 01/2011 व 10/2011 के लेखाओं का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण के दौरान आगामी पैरों में दर्षाये गए अभिलेख के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3 vads{k.k 'kqYd %&

नगर परिषद घुमारवीं के लेखाओं अवधि 04/2009 से 03/2012 तक के अंकेक्षण करने का अंकेक्षण शुल्क ₹24,600.00 (चौबिस हजार छः सौ रुपये मात्र) बनता है। सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अधियाचना संख्याः ए0सी0/एल0ए0डी0–फिन–44–2012, दिनांक 01.06.2012 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद घुमारवीं को अंकेक्षण शुल्क की राषि का भुगतान निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने का आग्रह किया गया है।

4 foÙkh; fLFkfr %&

नगर परिषद घुमारवीं के लेखाओं अवधि 04/2009 से 03/2012 तक की वित्तीय स्थिति कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर निम्नानुसार थी :–

Øe la[;k	fooj.k	2009&10	2010&11	2011&12
1	प्रारम्भिक शेष	43,75,855.00	1,43,29,617.00	1,48,95,217.00
2	प्राप्तियां (ए) स्व स्त्रोतं से	15,40,675.00	26,60,342.00	26,08,276.00

	(बी) सरकारी अनुदान	1,71,82,589.00	1,01,45,776.00	1,14,74,727.00
3	dqy tksM+	2]30]99]119-00	2]71]35]735-00	2]89]78]220-00
4	वर्ष में व्यय	87,69,502.00	1,22,40,518.00	1,22,01,539.00
5	vfUre 'ks"k	1]43]29]617-00	1]48]95]217-00	1]67]76]681-00

रोकड़ बही के मुताबिक दिनांक 31.03.2012 तक का अन्तिमशेष 1,67,76,681.00

पास बुक के मुताबिक दिनांक 31.03.2012 तक का अन्तिम शेष 1,68,97,926.00

vUrj dh jkf'k 1]21]245-00

vUrj dh jkf'k dk lek/kku %&

नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2012 तक चैक जारी किए गए व रोकड़ बही से घटा दिए हैं परन्तु पास बुक में माह 31.03.2012 तक नहीं घटाये गए हैं।

Øe la[;k	pSd la[;k	jkf'k
1	6425587	788.00
2	161377	2,819.00
3	846024	600.00
4	806025	3,012.00
5	846227	16,947.00
6	846230	4,090.00
7	846236	1,120.00
8	846237	250.00
9	846238	1,080.00
10	846239	400.00

11	846240	26,721.00
12	6427633	26,021.00
13	846241	31,100.00
14	6427634	6,052.00
15	642730	245.00

dqy pSd tks ekg 31-03-2012 rd Hkquk; ugha x, gS ₹1]21]245-00

¼2½ fnukad 31-03-2012 rd fofHkUu cSadks esa tek jkf'k;ksa dk fooj.k %&

(1)	डाकघर बचत खाता संख्याः 396971	439.00
(2)	हिमाचल प्रदेष स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक घुमारवीं बचत खाता संख्याः	1,07,047.00
(3)	यूको बैंक खाता संख्याः 264	9,01,569.00
(4)	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बचत खाता संख्याः 65010933135	3,41,833.00
(5)	एस0बी0आई0 बचत खाता संख्याः 10544	34,96,741.00
(6)	एस0बी0आई0 खाता संख्याः 31113903517	6,16,185.00
(7)	ओरियेन्टल बैंक ऑफ कामर्स खाता संख्याः 12782151003271	15,90,525.00
(8)	हिमाचल ग्रामीण बैंक खाता संख्याः 107	1,69,869.00
(9)	हिमाचल प्रदेष स्टेट को0–ऑपरेटिव बैंक खाता संख्याः 10976 (एस0जे0एस0आर0वाई)	4,372.00
(10)	हिमाचल प्रदेष स्टेट को0–ऑपरेटिव बैंक खाता संख्याः 19500	2,47,892.00
(11)	हिमाचल प्रदेष ग्रामीण बैंक खाता संख्याः 23303	10,25,937.00
	सावधि जमा	83,95,517.00
	dqy ;ksx	₹1]68]97]926-00

4-1 lkof/k tek dk fooj.k %&

दिनांक 31.03.2012 तक नगर परिषद घुमारवीं, जिला बिलासपुर द्वारा कुल ₹83,95,517.00 की राषि निवेषित की गई है। जिसका पूरा विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिषिष्ट ''क'' में दिया गया है।

5 vuqnku %&

नगर परिषद द्वारा वर्ष 2009–2010, 2010–2011 व 2011–2012 के दौरान प्राप्त अनुदान की राषि व उसमें से किए गए व्यय का ब्यौरा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद घुमारवीं द्वारा प्रेषित आंकड़ों व सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने के उपरान्त निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत ब्यौरा परिषिष्ट ''ख'' में दिया गया है।

Øe la[;k	fooj.k	2009&10	2010&11	2011&12
1	प्रारम्भिक शेष	33,05,934.00	1,38,49,743.00	1,40,44,894.00
2	अनुदान की प्राप्त राषि	1,71,82,589.00	1,01,45,776.00	1,14,74,727.00
3	;ksx	2]04]88]523-00	2]39]95]519-00	2]55]19]621-00
4	व्यय	66,38,780.00	99,50,625.00	88,11,763.00
5	'ks"k	1]38]49]743-00	1]40]44]894-00	1]67]07]858-00

5-1 ljdkjh vuqnku dh jkf'k ₹167-08 yk[k fnukad 31-03-2012 dks O;; gsrq 'ks"k %&

दिनांक 31.03.2012 को सरकारी अनुदान की राषि ₹1,67,07,858.00 शेष थी। संस्था द्वारा प्राप्त अनुदान की राषियों का वित्तीय वर्ष में निष्चित अवधि में व्यय किया जाना अपेक्षित हैं अतः अनुदान की उपरोक्त शेष राषि का वर्ष 2012–2013 के दौरान व्यय से पूर्व अनुदान स्वीकृत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना सुनिष्चित किया जाए अन्यथा शेष राषि का प्रत्यार्पण किया जाए। भविष्य में सभी प्राप्त अनुदान की राषियों का उपयोग उचित समय के भीतर किया जाना सुनिष्चित करें।

6 vuqlwfpr tkfr ,oa tutkfr lsa lEcfU/kr O;fDr;ksa ds fy, y/kq foØ; dsUnz leg ;kstuk ds vUrxZr nqdkuksa ds fuekZ.k ds fy, iwath _.k dh jkf'k ₹1-20 yk[k ds ckjs esa %&

हिमाचल प्रदेष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम सोलन के कार्यालय पत्र संख्याः एन0सी0डी0सी0/शाप–षैड/विकास/2009–1997, दिनांक 01.06.2010 द्वारा

कार्याकारी अधिकारी नगर पालिका घुमारवीं को प्रेषित अनुमान के अनुरूप कुल स्वीकृत राषि ₹2,40,000 में से पहली किष्त के फलस्वरूप ₹1,20,000 की राषि उक्त प्रयोजन हेतु चैक संख्या 450168, दिनांक 02.07.2010 के अन्तर्गत निम्न शर्तों पर प्राप्त की गई।

(1) नगर परिषद प्रस्तावित दुकानों का निर्माण कार्य ऋण प्रकरण के साथ संलग्न जमाबन्दी/ततीमा के अनुसार खसरा नम्बर 247/238 में ही करेगी।

(2) दुकानों का निर्माण कार्य अध्यक्ष नगर परिषद जिला घुमारवीं द्वारा सत्यापित नक्षे के अनुसार समस्त वैघानिक औपचारिक्ताओं को पूर्ण करने के पष्चात किया जाएगा।

(3) किसी भी शर्त का उल्लंधन करने की स्थिति में निगम को यह अधिकार होगा कि वह नगर परिषद से समस्त ऋण की राषि ब्याज एवं दण्ड ब्याज सहित वसूल करेगा।

जाँच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त दुकानों का निर्माण अंकेक्षण अवधि तक नहीं किया गया है। और न ही ऋण की राषि की दूसरी किष्त की प्राप्त की गई है व ऋण की पहली किष्त की राषि प्रयोग में नहीं लाई गई है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि उपरोक्त दुकानों का निर्माण कार्य अतिषीघ्र करके निर्मित दुकानो ंका आबंटन लाभार्थियों को किया जाना सुनिष्चित करें अन्यथा ऋण की राषि सम्बन्धित संस्था को वापिस की जानी सुनिष्चित करें ताकि नगर परिषद को दण्ड ब्याज के रूप में अनावष्यक हानि न उठानी पड़े।

7 ckgjo: foÙkh; vk;kx d: v/khu lkfyM oLV eu teUV ikt DV d: vUrxr jkf'k ₹90-00 yk[k d: vunku dh jkf'k d: mi;kx u dju: ckj: %&

परिषद द्वारा निदेषक, शहरी विकास विभाग षिमला द्वारा दक्कड़ी (Dakari) तहसील घुमारवीं में बाहरवें वित्तायोग के अधीन सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट प्रोजैक्ट बनाने हेतु बैंक ड्राफ्ट संख्याः 023625, दिनांक 27.03.2010 द्वारा ₹90,00,000 की राषि प्राप्त की गई है। परन्तु नगर परिषद घुमारवीं द्वारा 31.03.2012 तक उपरोक्त प्रोजैक्ट का कार्य शुरू नहीं किया गया था उपरोक्त अनुदान की राषि में से ₹5,45,295.00 की राषि निम्न विवरणानुसार उक्त प्रयोजन हेतु खर्च की गई है :—

Øe l:[;k	okÅpj l:[;k	jkf'k	fnukd	i:;ktu
1	291	2,77,705.00	03/10	प्रोजैक्ट की भूति पर उगे पेड़ों की लागत का वन विभाग को भुगतान

2	292	1,69,500.00		हिमाचल प्रदेष राज्य वन विभाग कैम्पा (Campa) को अफोरेसटेसन की राषि का भुगतान
3	272	98,090.00	02/2011	Structual Designing स्ट्रक्च्यूल डिज़ाईनिंग हेतु व्यय
	d|y 0;;	₹5]45]295-00		

अंकेक्षण के दौरान यह बताया गया कि वन विभाग द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है तथा उक्त प्रोजेक्ट हेतु तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है फिर भी अंकेक्षण के दौरान तक उपरोक्त प्रोजैक्ट का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है जबकि नगर पालिका घुमारवीं को शहर का कूड़ा करकट अपनी गाड़ी में उठाकर डिस्पोजल स्थल बिलासपुर में ले जाना पड़ता है जिस हेतु नगर परिषद घुमारवीं को हज़ारों रुपये का भुगतान नगर परिषद बिलासपुर को करना पड़ता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि प्रोजैक्ट हेतु शेष राषि का सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त शीघ्र प्रयोग में लाने के पश्चात यू0सी0 सम्बन्धित विभाग को भेजें।

8 vk; %&

नगर परिषद घुमारवीं की आय के मुख्य स्त्रोत गृहकर दुकानों से प्राप्त किराये, मैप फीस, तहबजारी फीस व सावधि जमा खातों में अर्जित ब्याज की प्राप्ति इत्यादि है। स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय के तुलनात्मक विवरण/परीक्षण से पता चलता है कि अनुपातिक तौर पर नगर परिषद घुमारवीं द्वारा 2011–2012 में आय में बढ़ौतरी नहीं हुई है तथा अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय को बढ़ाने हेतु समुचित प्रयास किए जाएं।

8-1 xgdj nqdkuksa ds fdjk;s dh jkf'k ₹61-86 yk[k dh fnukad 31-03-2012 rd olwyh 'ks"k %&

दिनांक 31.03.2012 को गृहकर व दुकानों के किराये की राषि ₹61,85,960.00 की वसूली हेतु शेष थी जिसका पूर्ण विवरण परिषिष्ट ''ग–1 व ग–2'' में दिया गया है तथा मदवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

Øe la[;k	fooj.k	2009&10	2010&11	2011&12

1	दुकानों से किराया	3,57,218.00	3,35,238.00	3,65,105.00
2	गृहकर	47,82,488.00	50,51,655.00	58,20,855.00
	;kx	51]39]706-00	53]86]893-00	61]85]960-00

वसूली योग्य शेष राषि दिनांक 31.03.2012 को ₹61,85,960 थी जो एक गम्भीर मामला है। अतः नगर परिषद घुमारवीं द्वारा शेष राषि की वसूली हेतु समुचित कार्यवाही अमल में लायें।

8-2 jkf’k ₹6]654-00 x`gdj dh de olyh %&

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि श्री अजीत सिंह सपुत्र श्री डन्डू राम वार्ड नम्बर 5 का कर निर्धारिण रजिस्टर पेज संख्याः 165 पर ₹4,090.00 निर्धारित किया गया तथा वर्ष 2010–11 व 2011–12 में कुल ₹8,180.00 की राषि देय बनती थी परन्तु नगर परिषद द्वारा ₹1,526.00 की राषि जी–8 संख्याः 10/04 माह 08/11 के अन्र्तगत वसूल की गई व शेष राषि ₹6,654.00 की राषि की वसूली नहीं की गई और न ही राषि मांग व वसूली रजिस्टर में अंकित की गई थी। अतः कम वसूल की गई राषि की वसूली की जानी सुनिष्चित करें।

8-3 x`gdj dk xyr fu/kkj.k djus ds QyLo:i jkf’k ₹5]397-00 ds x`gdj dh de olyh %&

नियमों में विनिर्दिष्ट दिषा निर्देषों के अनुरूप वार्ड नम्बर 3 के गृहकर का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना था :–

(1)	प्रतिमाह वसूल किए जाने वाले निर्धारित किराया/रैन्टल वेल्यू 2500 x 12	30,000
(2)	मुरम्मत व्यय	3,000
		27]000

देय गृहकर की राषि 27000 x 12.5% = ₹3,375.00 प्रतिवर्ष

संस्था द्वारा मांग तथा वसूली रजिस्टर में जारी की गई राषि ₹1,576.00 ही थी तथा कम वसूली की राषि ₹3,375.00 – ₹1,576.00 = ₹1,799.00 अतः वर्ष 2009–10, 2010–11 व 2011–12 तक कुल कम आंकी गई राषि ₹1799 x 3 = ₹5,397 जिसकी पुनः जाँच करते हुए कम आंकी गई गृहकर की राषि की वसूली सुनिष्चित करें।

8-4 x`gdj fu/kkj.k fu;ekuqlkj u djus ls jkf’k ₹1]944-00 ds x`gdj dh gkfu gksuk %&

हिमाचल प्रदेष म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की घारा 2(सी) के अनुसार भवन की रिटेबल मूल्य जमीन की कीमत व भवन निर्माण पर किए गए व्यय के योग का 10 प्रतिषत निर्धारित किया जाना

अपेक्षित है तथा घारा 2(सी) के प्रथम प्रोविजिनों के अनुसार निर्धारित रिटेवल मूल्य का 10 प्रतिषत गृह के रख–रखाव हेतु छूट देने के उपरान्त शुद्ध रिटेबल मूल्य पर निर्धारित दर पर गृहकर का आंकलन होता हैं लेकिन नगर पालिका द्वारा गृहकर निर्धारण के समय नियम का पालन न करके गृहकर को अन्य प्रकार से कर निर्धारित किया गया निम्नानुसार ₹1,944.00 की राषि की हानि हुई है जिसकी पुनः जाँच करने पर हानि की राषि की वसूली सुनिष्चित करें।

<u>vfu;fer@de x`gdj fu/kkj.k ekeyk dk fooj.k</u>

Ø0 l0	ekfyd dk uke	Hkou dk {k=Qy	fuekZ.k ykxr	Hkwfe dh ykxr	;ksx	fjVsy ewY;	ejEer gsrq NwV	'kq) fjVsy ewY;	ns; x`g dj	fu/kkZfjr x`g dj	vUrj dh jkf'k
1	श्री बलदेव सपुत्र श्री गुरहिता वार्ड नम्बर 1	37.47 वर्ग मी0	112410	30000	142410	14241	1424	12817	1602	1311	291 x 3 = 873
2	श्री सुनीत वार्ड नम्बर 4	<u>73.15</u> 28.50 वर्ग मी0	153615	36000	189619	18962	1896	17066	2133 28.50 वर्ग मीटर पर देय = 831	595	236+3=708
3	श्री राज पाल शर्मा सपुत्र श्री विष्न दास वार्ड नम्बर 1	<u>134</u> 42.44 वर्ग मी0	469000	100000	569000	56900	5690	51210	6401 42.44 वर्ग मी0 पर देय =2042	1921	121 + 3 = 363
										dqy	**₹1,944.00**

8-5 <u>ndkuk d olyh ;kX; fdjk; d ikjfEHkd 'k"k dk de vkdu ij ₹2]620-00 dh de olyh</u>

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि श्री बृज पाल दुकान संख्याः 37, दिनांक 31.03.2011 को अन्तिम शेष अथवा 01.04.2011 को प्रारम्भिक शेष कम उठाने पर निम्नानुसार ₹2,620.00 की राषि की कम वसूली की गई हैं जिसका पुनः अवलोकन करते हुए कम वसूल की गई किराये की राषि की वसूली की जानी सुनिष्चित करें।

(1)	वर्ष 2009–10 का प्रारम्भिक शेष	13,000.00
	वर्ष में देय किराया	17,160.00
	कुल राषि	30,160.00
	वर्ष में प्राप्ति	10,400.00
	vfUre 'k"k	19]760-00
(2)	वर्ष 2010–11 का प्रारम्भिक शेष	19,760.00
	वर्ष में देय किराया	17,160.00
	कुल	36,920.00
	वर्ष में वसूली की राषि	25,740.00
	vfUre 'k"k	11]180-00

दिनांक 31.03.11 को किराये का अन्तिम शेष ₹11,180.00 बनता था लेकिन संस्था द्वारा अन्तिम शेष ₹8,560.00 दर्षाया गया जो कम था।

8-6 श्री ओमकार सिंह दुकान नम्बर 12, दिनांक 31.03.2011 का अन्तिम शेष ₹2,810.00 के स्थान पर ₹2,510.00 दर्षाने पर ₹300.00 तथा श्री लेख राम दुकान नम्बर 19, दिनांक 31.03.2011 को ₹515.00 के स्थान पर ₹270.00 दष्र्ाने पर ₹245.00 की राषि कम दर्षाई गई है। अतः ₹300 + ₹245 = ₹545.00 की वूसली की जानी भी सुनिष्चित करें।

9 LFkkiuk

jkf'k ₹22-65 yk[k dk LFkkiuk ij vfu;fer O;; djuk %&

नगर परिषद घुमारवीं के दिनांक 31.03.2012 तक श्रेणी वार स्वीकृत भरे गए व रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन मे संलग्न परिषिष्ट ''घ'' में दिखाया गया है। नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान वेतन व अन्य भत्तों यात्रा भत्तों दावों तथा चिकित्सा प्रतिभूति दावों में कुल व्यय का अनुपात म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 की घारा 53(1)सी में विहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया । उपरोक्त नियम के अनुसार पालिका की स्थापना व्यय कुल व्यय के 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। स्थापना व्यय व कुल व्यय का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार था :–

Øe la[;k	o"kZ	LFkkiuk O;;	dqy O;;	LFkkiuk O;; dh izfr'krrk
1	2009–10	35,11,348.00	87,69,502.00	40.04%
2	2010–11	46,74,235.00	1,22,40,518.00	38.18%
3	2011–12	51,50,311.00	1,22,01,539.00	42.21%

निदेशक, शहरी विकास षिमला–2 के ज्ञापन संख्याः यू0एल0बी0–एच(ए)(7)–1/87 –9237–9284, दिनांक 20.01.2001 द्वारा भी सभी कार्यकारी अधिकारी व सचिवों को यह निर्देष दिए गए थे कि स्थापना व्यय से संस्था के कुल व्यय के 1/3 भाग (या 33 प्रतिषत) तक ही सीमित रखा जाए लेकिन पालिका द्वारा दिषा निर्देषों को ध्यान मे न रखकर स्थापना व्यय निर्धारित सीमा से अधिक किया गया जो कि एक गम्भीर वित्तीय मामला व अनियमितता है। इस प्रकार स्थापना व्यय ₹5,88,180.00, ₹5,94,063.00 व ₹10,83,132.00 क्रमषः वर्ष 2009–10, 2010–11 व 2011–12 में निर्धारित सीमा से अधिक किया गया है। अतः मामला निदेषक, शहरी विकास षिमला–2 के माध्यम से हिमाचल प्रदेष सरकार के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

9-1 uxj ifj"kn dk deZpkfj;ksa dk isU'ku o xzsP;qVh fuf/k esa jkf'k ₹10]272-00 dh jkf'k dk de va'knku %&

पैन्षन व ग्रेच्यूटी व सामान्य भविष्य निधि नियम 2000 में दिए गए दिषा निर्देषों के अर्न्तगत कर्मचारियों के वेतनमान की अधिकतम राषि का 12 प्रतिषत पैन्षन फण्ड व 5 प्रतिषत ग्रेच्यूटी फण्ड में जमा किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नानुसार कर्मचारियों के उक्त

फण्ड में अवधि 11/09 से 12/10 तक ₹856.00 की दर से ₹10,272.00 का कम अंषदान किया गया। जिसकी भरपाई की जाए तथा भविष्य में अनुदेषों की कड़ाई से पालन किया जाना सुनिष्चित करें।

Ø0 l0	deipkjh dk uke	vf/kdre osru eku dh jkf'k	vif{kr 12% o 5% iU'ku o xP;Vh v'knku	tk jkf'k tek dh xb	de v'knku dh tek jkf'k
1	श्री श्याम लाल चपड़ासी	10680	1816	1602	214
2	श्री राम लाल सफाई कर्मचारी	10680	1816	1602	214
3	श्री मुथु राम सफाई कर्मचारी	10680	1816	1602	214
4	श्री सुरेष कुमार सफाई कर्मचारी	10680	1816	1602	214
			ifrekg dk v'knku		₹856-00

vFkkr ekg 11@09 ls 10@10 rd de v'knku dh jkf'k **856 x 12 = ₹10272.00**

10 [kjhn x, lkeku d LVkd bUnkt dju ckj %&

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद घुमारवीं द्वारा निम्नानुसार सामान की खरीद की गई है परन्तु स्टॉक इन्द्राज नहीं किया गया है। अतः खरीदे गए सामान का स्टॉक इन्द्राज न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए प्राप्त सामान का स्टॉक इन्द्राज करें तथा किसी भी हानि की दषा में खरीदे गए सामान की भरपाई सम्बन्धित व्यक्ति से की जानी सुनिष्चित करें।

okÅpj@fcy l[;k o fnukd	[kjhn x, lkeku dk fooj.k	Hkxrku dh jkf'k
बिल 7377, दिनांक 08.10.10	4 नं0 करटन पाईप @100	400.00
	22 नं0 साईड कलीप @15	330.00
	1 नं0 स्करु पैकेट @40	40.00

	1 नं0 पी0बी0सी0 फीटर @30	30.00
बिल 7381, दिनांक 12.10.10	1 नं0 लुकिंग ग्लास	550.00
	1 नं0 सोप डीस्क	75.00
	1 नं0 बकेट	175.00
वाऊचर सं0 245, माह 01/11	21 नं0 करटन @40	840.00
	4 मीटर बुकरम @35	140.00
वाऊचर सं0 246, माह 01/11	6 नं0 यैलो पेन्ट @175	1050.00
बिल 7393, दिनांक 25.11.10	4 नं0 ब्रष (Brush)@175	700.00
	3 एच0बी0 ऑयल @70	210.00
	2 नं0 ब्रष@50	100.00
	2 नं0 ब्रष (wire)@25	50.00

11 okÅpj l[;k 234] ekg 01@11 ₹47]600 ¼&

शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0ए0(3) 2/96–11, दिनांक 04.11.2006 द्वारा अधिसूचित उप नियमों में उप नियम 40 व 48 के अर्न्तगत दिए गए अनुदेषों के अनुरूप म्यूनीसीपल इन्जीनियर रोड लाईट/स्ट्रीट लाईट के उचित संचालन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा तथा अकाऊंटस शाखा किसी भी प्रकार की कोई भुगतान नहीं करेगा जब तक बिल म्यूनिसीपल इन्जीनियर/हैल्थ आफीसर द्वारा सत्यापित नहीं होगा। नगर परिषद द्वारा उपरोकत वाऊचर द्वारा अपने आपूर्ति पत्र संख्याः एम0सी0/जी0एच0आर/ मयुनिसिपल/2009–2355, दिनांक 26.11.2010 द्वारा निम्नानुसार स्ट्रीट लाईट हेतु बिजली के सामान की खरीद निविदाओं के आधार पर मैसर्ज प्रदीप इलेक्ट्रीक जनरल स्टोर घुमारवीं से की गई है :–

(1)	टयूब चौक 40 वाट	20 x 125 = 2,500.00
(2)	एस0बी0एल0 चौक 70 वाट	6 x 550 = 3300.00
(3)	इगनीटर 70 वाट	10 x 125 = 1250.00
(4)	कपैस्टर 70 वाट	10 x 125 = 1250.00

(5)	एस0बी0एल0 लैम्प 250 वाट	10 x 525 = 5250.00
(6)	एस0बी0एल0 चैक 250 वाट	8 x 1050 = 8400.00
(7)	इगनीटर 250 वाट	20 x 150 = 3000.00
(8)	कपैस्टर 250 वाट	20 x 150 =3000.00
(9)	सी0एफ0एल0 फीक्सचर 85 वाट	7 x 1950 = 13650.00
(10)	सी0एफ0एल0 लैम्प 85 वाट	10 x 600 = 6770.00
		Total ₹47,600.00

उक्त स्ट्रीट लाईट के व्यय की जाँच करने के पश्चात निम्न अंकेक्षण आपत्तियां अपेक्षित हैं

(1) खरीदा गया बिजली का सामान किस मेक का था बिला व कोटेषन पर अंकित नहीं है।

(2) खरीदे गए सामान की गुणवता के सम्बन्ध में बिल व कोटेषन म्यूनिसीपल इन्जीनियर द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित नहीं है जिसका सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी से सत्यापन करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्षायें।

(3) खरीदे गए बिजली के सामान की खपत भी तकनीकी शाखा से सत्यापित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेंक्षण पर दर्षायें।

12 jkf’k ₹3]500-00 d: lheUV cxk dh de olwyh ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि ठेकेदार ए0एस0 कासीब (A.S. Kasib) को निम्नानुसार कार्य हेतु सीमेन्ट जारी किया गया।

कार्य का नाम	हरीजन बस्ती लेहड़ में वार्ड नम्बर 5 के अर्न्तगत कलवर्ट का पुनः निर्माण कार्य
–	वार्ड नम्बर 4 में गली की मुरम्मत का कार्य

Tkkjh fd, x, lheUV dh ek=k %&

bUMsUV la[;k	fnukd	lheUV cSx tks tkjh fd, x,
820	19.04.2010	50
840	30.06.2010	50
847	12.07.2010	20

851	03.08.2010	35
853	20.08.2010	30
	d|y c|x	185

उपरोक्त जारी किए गए सीमेन्ट बैग में से नगर परिषद द्वारा वाऊचर संख्याः 258(1) व (2) के अर्न्तगत कलवर्ट के कार्य में 103 बैग सीमेन्ट की वसूली ₹175/– प्रति बैग माह 01/11 में कर ली गई है तथा दूसरे कार्य वार्ड नम्बर 04 गली की मुरम्मत में वाऊचर संख्याः 105 एम0बी0 पेज संख्याः 0027/36 में कुल खपत आई 82 बैग के स्थान पर केवल 62 बैग की ही वसूली की गई है अर्थात 20 बैग की ₹175/– प्रति बैग की दर से कम वसूली की गई है जिसकी पुनः जाँच करते हुए ₹3,500.00 की वूसली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिष्चित करें।

13 jkf'k ₹14]400 d: lheUV dh de olyh djuk %&

वाऊचर संख्याः	210 व 211, माह 10/11
राषि	₹1,52,504.00
संविदाकार का नाम	श्री प्रेम लाल
कार्य का नाम	श्री मनोहर लाल के घर के रास्ते से प्रेम लाल वार्ड नम्बर 7 के घर तक सीमेन्ट कंकरीट ड्रेन का कार्य
बिल का विवरण	द्वितीय एवं अन्तिम बिल–II[nd] and final bill

उपरोक्त कार्य के निर्माण हेतु नगर परिषद घुमारवीं द्वारा निम्नानुसार स्टॉक से सीमेन्ट जारी किया गया।

Øe l[;k	fnukd	tkjh fd, lheUV cx dh l[;k
1	919, 17.03.11	35 बैग
2	920, 17.03.11	35 बैग
3	931, 25.04.11	40 बैग
4	93, 25.04.11	40 बैग
5	934, 02.05.11	15 बैग

6	935, 02.05.11	75 बैग
7	937, 09.05.11	100 बैग
	d|y c|x	340 c|x

उपरोक्त जारी किए गए सीमेन्ट बैग में से संस्था द्वारा ठेकेदार से प्रथम चलत बिल से माप पुस्तिका पेज संख्याः 094 व एम0बी0 नम्बर 0027 में 204 सीमेन्ट बैग की ₹180/– प्रति बैग की दर से वसूली की गई है तथा द्वितीय एवं अन्तिम बिल से माप पुस्तिका संख्या 0027 पेज संख्याः 098 में 96 सीमेन्ट बैग ₹180/– प्रति बैग की दर से वसूली कर ली गई है। शेष 40 बैग सीमेन्ट की वसूली नहीं की गई है और न ही इनकी खपत से सम्बन्धित कोई अन्य अभिलेख अंकेक्षण को दर्षाया गया है। जिसकी पुनः जाँच की जाए अन्यथा ठेकेदार से पैनल दरों पर ₹360/– प्रति सीमेन्ट बैग की दर से 40 x 360 = ₹14,400/- की वसूली की जाना सुनिष्चित करें तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

14 वाऊचर संख्याः 257(1) व 257(2)

राशि ₹2,92,861.00

संविदाकार का नाम श्री श्याम लाल

कार्य का नाम अम्बेदकर चौक घुमारवीं में कम्यूनिटी टायॅलेट ब्लाक का निर्माण कार्य

बिल का विवरण द्वितीय चलत बिल

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु नगर परिषद घुमारवीं द्वारा निम्नानुसार स्टॉक से सीमेन्ट जारी किया गया है।

Øe l[;k	bUMsUV l[;k	fnukad	tkjh fd, x, cSx dh l[;k
1	856	21.08.10	25
2	880	05.11.10	30
3	925	29.03.11	20
		d|y ;kx	75

जारी किए गए सीमेन्ट बैग में से 45 सीमेन्ट बैग की एम0बी0 संख्याः 27 पेज संख्याः 36 पर ₹180/— प्रति बैग की दर से वसूली की गई है तथा 15 बैग की वसूली एम0बी0 संख्याः 27 पेज संख्याः 73 में ₹180/— प्रति बैग की दर से वसूली कर ली गई है। शेष 15 सीमेन्ट बैग की वसूली अन्तिम बिल तक नहीं की गई है और न ही शेष 15 सीमेन्ट बैग की खपत व वसूली से सम्बन्धित अन्य सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में दर्षाया गया हैं जिससे प्रतीत होता है कि शेष 15 सीमेन्ट बैग की वसूली नहीं की गई है जो बहुत ही चिन्ताजनक है जिसकी पुनः जाँच करते हुए शेष 15 बैग की वसूली पैनल रेट अर्थात ₹360/— प्रति बैग की दर से अर्थात 15 x 360 = ₹5,400.00 की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिष्चित करें।

15 अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि संस्था द्वारा जारी किए सीमेन्ट तथा कार्य में प्रयोग में लाये गए सीमेन्ट बैग की खपत विवरणिका तैयार नहीं की गई थी तथा सम्बन्धित कार्य बिलों के साथ संलग्न नहीं की गई थी। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि अवधि 01.04.2009 से 31.03.2012 तक जारी किए गए सीमेन्ट की खपत विवरणिका स्टॉक रजिस्टर में जारी किए गए सीमेन्ट तथा सम्बन्धित कार्य में प्रयोग में लाये गए सीमेन्ट की खपत विवरणिका कार्य अनुसार बनाकर कॉन्ट्रैकट लेजर/वर्क रजिस्टर में दर्षाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवायें।

16 l{ke vf/kdkjh dh l'kkf/kr Lohdfr d fcuk jkf'k ₹0-88 yk[k dk vfu;fer 0;; %&

नगर परिषद घुमारवीं द्वारा घुमारवीं शहर में बजोहा स्थान पर वार्ड नम्बर 5 में क्म्यूनीकेषन सैन्टर के निर्माण कार्य के अन्तिम बिल में बिना संषोधन तकनीकी स्वीकृति के ही कर दिया गया जिससे कार्य पर ₹88,033 अनियमित भुगतान किया गया। यही भी पाया गया कि अन्तिम भुगतान से पहले डैवियेषन स्टेटमैन्ट न तैयार की गई थी और न ही सक्षम अधिकारी से स्वीकृत की गई जो नियमानुसार अनिवार्य थी।

okÅpj l[;k@ekg	dk;l dk uke	dk;l dh rduhdh Lohdfr	dk;l fd;k x;k	vUrj
327 माह 10/09	वार्ड नम्बर 5 बजोहा में कम्यूनिकेषन सैन्टर का निर्माण कार्य	310245	398278	88033

17 okÅpj l[;k 257] ₹2]92]861] ekg 01@11 %&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा नगर परिषद घुमारवीं द्वारा घुमारवीं में कम्यूनिटी टॉयलेट के निर्माण कार्य में श्री श्याम लाल संविदाकार को भुगतान किया गया। संस्था द्वारा उपरोक्त ठेकेदार को प्रोवाईडिंग व फिक्सींग सी0आई0 पलेन सूज (CI Plain Shoes 100 mm 4 x 1=4 No) के स्थान पर 5 नम्बर का भुगतान एम0बी0 संख्या 027 पेज संख्या 26 पर ₹200 प्रति सी आई0 पलेन की दर से एक नम्बर का अधिक भुगतान किया गया । अर्थात ₹200 की राषि का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जानी सुनिष्चित करें।

18 ekckby dE;fud'ku Vkoj d okf"kd fjfu;y Qhl ₹17]500 dh olyh u fd, tku ckj %&

हिमाचल प्रदेष सरकार डिपार्टमैन्ट ऑफ इनफोरमेषन व टैक्नोलॉजी के पत्र संख्याः डी0आई0टी0 (आई0टी0)2005 मिसलीनियस) दिनांक 28.08.2006 के द्वारा बनाई गई नीति के अर्न्तगत उपरोक्त टावरों को लगाने से पहले स्थानीय निकाय नगर परिषद की स्वीकृति लेनी आवष्यक है तथा स्थानीय निकाय द्वारा राषि ₹10,000 इन्स्टालेषन फीस व राषि ₹5,000 प्रति वर्ष निरीयूल फीस की वसूली की जानी अपेक्षित थी तथा 5 वर्षों पश्चात वार्षिक रिनियूल फीस में 25 प्रतिषत की बढ़ौतरी की जाएगी। सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने के पश्चात निरीयूल फीस व बढ़ौतरी की राषि वसूली हेतु शेष थी।

Øe l[;k	dEiuh dk uke	bULVkys'ku dh frfFk	bULVkys'ku dh cdk;k jkf'k	fjuq;y Qhl dh cdk;k jkf'k	ikp o"kkZ dk i'pkr 25 ifr'kr c<krjh dh jkf'k	dqy jkf'k
1	भारत संचार निगम लिमिटिड जी–एम डिवीजन हमीरपुर	2006 से पहले	–	5000 2011–12	1250	6250
2	भारती इन्फरोटेल लिमिटेड षिमला–9	2006–07	–	–	1250	1250
3	डीषनेट कम्यूनीकेषन लिमिटेड षिमला–9	2007–08	–	2010–11 व 2011–12	–	10,000
						₹17]500

19 <u>okÅpj la[;k 291 ekg 03@10] ₹2]77]705-00</u> %&

नगर परिषद घुमारवीं द्वारा घुमारवीं शहर के दक्कड़ी (Dakari) स्थान पर सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट प्रोजैक्ट बनाने के लिए प्रयोग होने वाली भूमि में उगे पोघों की लागत के ₹2,77,705.00 की राषि का भुगतान वाऊचर संख्याः 291, माह 03/10 द्वारा डी0एफ0ओ0 बिलासपुर को निम्नानुसार किया गया है :–

Øe la[;k	ikS/kksa dk fooj.k	ydM+h dh ek=k	nj	Hkqxrku dh jkf'k
1	खैर 19 पौधे	10.30 m^3	22,771	2,34,541.00
2	सफेदा 1 नम्बर	.500 m^3	5,481	2,740.00
3	तुनी 1 नम्बर	.064 m^3	5,515	352.00
		0.128		
4	बी0एल0 3 नम्बर	0.885	2354	2,384.00
				₹2]40]017-00
	oSV	**12.5%**		30]002-00
				2,70,019.00
	आई0टी0(I.T)			7,686.00
			dqy jkf'k	2]77]705-00

अंकेक्षण के दौरान चर्चा में बताया गया कि वन विभाग द्वारा उपरोक्त लकड़ियों को काटकर ले जाया गया है। अतः कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद घुमारवीं को अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि उक्त लकड़ियों से विक्रय करने पर वन विभाग द्वारा प्राप्त आय को उनसे प्राप्त करें क्योंकि उन पौधों की लागत का व्यय नगर पालिका द्वारा वहन किया गया है।

20 <u>okgu</u> %&

अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद के वाहन संख्या एच0पी0–23–4056 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि माह 11/2011 में संस्था द्वारा वास्तव में 450 कि0मी0 गाड़ी का

प्रयोग किया गया जबकि 460 कि0मी0 गाड़ी चली दर्षाई गई है अर्थात 10 कि0मी0 अधिक दर्षाई गई है अर्थात 10 किलोमीटर अधिक दर्षाने से 2.29 लीटर डीजल की अधिक खपत दर्षाई गई है। जिसे ₹37/– की दर से ₹84/– की वसूली करके अंकेक्षण को दर्षाया जाए।

21 fofo/k %&

संस्था द्वारा अखबारों की रद्दी की बिक्री अवधि 04/09 से 03/2012 तक नहीं की गई है जिसे अतिषीघ्र करके प्राप्त आय को परिषद की निधि में जमा करें।

22 अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष के उपरान्त संस्था में पड़ें स्टोर/स्टॉक की प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया है जो एक गम्भीर अनियमितता है जिसे करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाना सुनिष्चित करें।

23 y?kq vkifÙk fooj.k %& यह अलग से जारी नहीं की गई है। समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर लिया गया।

24 fu"d"kZ %& लेखाओं में लगातार सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः (V)27/87–फिन(एल0ए0)खण्ड–2 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) निदेषक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–171002

iftdr %& (2) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद घुमारवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्षाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009

¼vuqi dqekj ?kk:½

ifjf'k"V&^v**

नगर परिषद घुमारवीं के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के बाद नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :–

¼d½ vads{k.k izfrosnu vof/k 04@72 ls 03@86

04 / 72 से 03 / 86 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण को प्रस्तुत / उपलबध नहीं करवाया गया। अतः इस अवधि के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन नहीं किया गया। अतः कार्यकारी अधिकारी इस अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर शीघ्र कार्यवाही करने के उपरान्त इस प्रतिवेदन को आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें।

¼[k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 04@86 ls 03@93

(1)	पैरा 3(क)	निर्णीत	
(2)	पैरा 3(क)(5)(3)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(3)	पैरा 3(ख), 3(ग)	अनिर्णीत	
(4)	पैरा 4	अनिर्णीत	
(5)	पैरा 5(क)	अनिर्णीत	
(6)	पैरा 6	अनिर्णीत	
(7)	पैरा 7(क)से (ज्ञ)	अनिर्णीत	
(8)	पैरा 7(क)(क) से 7(द)(द)	पैरा सं0 7(क)(क) तथा 7(त)(त) को छोड़कर अनिर्णीत	(₹60.00 की राषि जी–8 संख्या 25 / 39 तथा ₹20.00 की राषि जी–8 संख्याः 25 / 35, दिनांक 01.06.12 के अर्न्तगत क्रमषः पैरा सं0 7(क)(क)व 7(त)(त) के अर्न्तगत जमा कर ली गई है।
(9)	पैरा 8	अनिर्णीत	

(10)	पैरा 9 से 14	अनिर्णीत	
(11)	पैरा 15(1) से (4)	अनिर्णीत	
(12)	पैरा 15(5)	निर्णीत	(₹12.00 की राषि जी–8 संख्याः 25/37, दिनांक 01.06.2012 के द्वारा जमा कर दी गई है।)
(13)	पैरा 15(6)	निर्णीत	(₹5.00 की राषि जी–8 संख्याः 25/36, दिनांक 01.06.2012 द्वारा जमा कर दी गई है।)
(14)	पैरा 15(7)	निर्णीत	(₹6.00 की राषि जी–8 संख्याः 25/33, दिनांक 01.06.12 द्वारा जमा कर दी गई है।)
(15)	पैरा 15(8)	निर्णीत	(₹60.00 की राषि जी–8 संख्याः 25/38, दिनांक 01.06.12 द्वारा जमा कर दी गई है।)
(16)	पैरा 15(9)(10)	अनिर्णीत	

¼x½ vd{k.k ifronu vof/k 04@93 l 03@95

(1)	पैरा 4	आंषिक निर्णीत	(₹90,000 की वसूली शेष)
(2)	पैरा 6	अनिर्णीत	
(3)	पैरा 7(क)(ख)	अनिर्णीत	
(4)	पैरा 8, 9	अनिर्णीत	
(5)	पैरा 10(1)से(3)	अनिर्णीत	
(6)	पैरा 11(1)से(2)	अनिर्णीत	
(7)	पैरा 12(1)से(2)	अनिर्णीत	
(8)	पैरा 13(1)से(2)	अनिर्णीत	
(9)	पैरा 14(1)से(24)	अनिर्णीत	
(10)	पैरा 15(1)से(3)	अनिर्णीत	

(11)	पैरा 16(1)से(22)	अनिर्णीत
(12)	पैरा 17	अनिर्णीत
(13)	पैरा 18(1)से(6)	अनिर्णीत

¼?k½ vad{k.k ifronu vof/k 04@95 l 03@2002

(1)	पैरा 3	अनिर्णीत
(2)	पैरा 4	अनिर्णीत
(3)	पैरा 5	अनिर्णीत
(4)	पैरा 6(क) से (ख)	अनिर्णीत
(5)	पैरा 7,8,9 व 10	अनिर्णीत
(6)	पैरा 11(क)से(घ)	अनिर्णीत
(7)	पैरा 12	अनिर्णीत
(8)	पैरा 13(1)से(37)	अनिर्णीत

¼³½ vad{k.k ifronu vof/k 04@2002 l 03@2007

(1)	पैरा 2(2)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग श्री पदम सिह कंवर की दिनांक 03.05.12 तथा 04.05.12 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(2)	पैरा 2(3)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है। वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/09 से 03/12 तक के पैरा संख्याः 2(ए)(iii) में सन्दर्भित है।)

(3)	पैरा 2(4)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(4)	पैरा 2(5)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(5)	पैरा 3	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है। अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/09 से 03/12 के पैरा संख्याः 3 में प्रारूपित है।)
(6)	पैरा 4(1)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(7)	पैरा 4(2)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(8)	पैरा 4(3)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है। नवीनतम स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/09 से 03/12 तक की रिपोर्ट में पैरा संख्या 4(बी) के अर्न्तगत दर्षाई गई है)

(9)	पैरा 4(4)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(10)	पैरा 4(5)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(11)	पैरा 4(6)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(12)	पैरा 4(7)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है। पैरे की नवीनतम स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/09 से 03/12 तक की रिपोर्ट में पैरा संख्याः 4(बी) के अर्न्तगत दर्षाया गया है।)
(13)	पैरा 4(8)1 से 6	अनिर्णीत	
(14)	पैरा 4(8)(7)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(15)	पैरा 4(8)(8)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)

(16)	पैरा 4(9)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(17)	पैरा 4(10)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(18)	पैरा 4(11)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(19)	पैरा 4(12)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(20)	पैरा 4(13)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(21)	पैरा 4(14)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(22)	पैरा 4(15)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)

(23)	पैरा 4(16)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(24)	पैरा 5(1)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(25)	पैरा 5(2)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(26)	पैरा 5(3)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(27)	पैरा 5(4)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(28)	पैरा 5(5)	अनिर्णीत	(₹32,145 की राषि वसूली हेतु शेष हैं)
(29)	पैरा 6(1)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(30)	पैरा 6(2)	अनिर्णीत	

(31)	पैरा 6(3)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(32)	पैरा 6(4)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(33)	पैरा 6(5)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(34)	पैरा 6(6)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(35)	पैरा 6(7)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(36)	पैरा 6(8)	अनिर्णीत	
(37)	पैरा 6(10)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(38)	पैरा 7(1)	अनिर्णीत	

(39)	पैरा 7(2)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(40)	पैरा 7(3)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(41)	पैरा 7(4)	अनिर्णीत	
(42)	पैरा 7(5)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(43)	पैरा 7(6)	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(44)	पैरा 8	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(45)	पैरा 9	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(46)	पैरा 10	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)

(47)	पैरा 11	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की दिनांक 03.05.12 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट के अर्न्तगत स्थल पर निर्णीत किया गया है।)

¼p½ vdk{k.k ifronu vof/k 04@2007 ls 03@2009

(1)	पैरा 2(ए)(i)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है व नवीनतम स्थिति अवधि 01.04.09 से 31.03.12 तक की अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्षाई गई है।)
(2)	पैरा 2(ए)(ii)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है व नवीनतम स्थिति अवधि 01.04.09 से 31.03.12 तक की अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्षाई गई है।)
(3)	पैरा 2(बी)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(4)	पैरा 3	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है व नवीनतम स्थिति अवधि 01.04.09 से 31.03.12 तक की अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्षाई गई है।)

(5)	पैरा 4(ए)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(6)	पैरा 4(बी)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(7)	पैरा 4(सी)	निर्णीत	(उप निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है व नवीनतम स्थिति अवधि 01.04.09 से 31.03.12 तक की अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्षाई गई है।)
(8)	पैरा 4(डी)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(9)	पैरा 4(ई)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(10)	पैरा 4(एफ)(i)	अनिर्णीत	
(11)	पैरा 4(एफ)(ii)(ए)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)

(12)	पैरा 4(एफ)(ii)(बी)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(13)	पैरा 4(एफ)(iii)	अनिर्णीत	
(14)	पैरा 5(ए)	अनिर्णीत	
(15)	पैरा 5(बी)(i)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(16)	पैरा 5(बी)(ii)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(17)	पैरा 5(बी)(iii)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(18)	पैरा 5(बी)(iv)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(19)	पैरा 5(बी)(v)(ए)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)

(20)	पैरा 5(बी)(v)(बी)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(21)	पैरा 5(बी)(vi)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(22)	पैरा 6(क)	अनिर्णीत	
(23)	पैरा 7(क)(i)	निर्णीत	(राषि ₹657 को जी–8 संख्या 25/34, दिनांक 01.06.2012 द्वारा जमा करवा दी गई है।)
(24)	पैरा 7(ख)(i)	अनिर्णीत	
(25)	पैरा 7(ख)(ii)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(26)	पैरा 7(ग)	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(27)	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत	
(28)	पैरा 8	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)

(29)	पैरा 9	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)
(30)	पैरा 10	निर्णीत	(उप निदेषक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग दिनांक 03.05.2012 व 04.05.2012 की निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा स्थल पर निर्णीत किया गया है।)